तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-5-22	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 7-4-22 का अवलोकन करने पर वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली निस्तारित की जाती वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी [illegible] (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

42 / दावा / 2019 — पीठासीन अधिकारी
दायरा दिनांक 11.07.2019 — श्री युगांतर शर्मा (RAS)

बउनवान

1. महावीर आत्मज मथुरालाल जाति मीणा निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0 ।

— वादी

बनाम

1. मुकेश आ0 गोबरीलाल जाति मीणा निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0 ।
2. महावीर आ0 गोबरीलाल जाति मीणा निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0 ।
3. सुरेश आ0 गोबरीलाल जाति मीणा निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0 ।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183,188 आर0टी0 एक्ट0 ।
उपस्थित :— 1. श्री सुरेश वर्मा एडवोकेट (वादी)।

—: निर्णय :— दिनांक :— 12.05.2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद—पत्र का संक्षिप्त तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार से है कि वाके ग्राम माखीदा स्थित ख0सं0 300 रकबा 2.15 हैक्ट0 वादी की सहखातेदारी भूमि है जिसको सहखातेदारान ने मौखिक बंटवारानामा अनुसार हिस्से में आई भूमि को वादी ने प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 को आधोली काश्त पर दिया।मौखिक समझौते अनुसार अधोलिया प्रतिवादीगण (1—3) को उपज का आधा भाग वादी को देना था परन्तु वर्ष 2019 की आखातीज पर उसने यह देने से मना कर दिया एवं कब्जा भी प्रार्थी को संभलाने से मना कर दिया।तब से प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 अवैधानिक तौर पर वादी की सहखातेदारी भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

काबिज है इस प्रकार प्रतिवादीगण वादी को सहमति के बिना बतौर अतिक्रमी की हैसियत से अवैधानिक रूप से वादी की सहखातेदारी की भूमि पर काबिज है। इसलिए ग्राम माखीदा को उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को संभलवाया जावे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे, कि वह उक्त भूमि पर पुनः ताकत/बल से कब्जा नही करे।

वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया परन्तु प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे इसलिए उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।बहस अधिवक्ता वादी द्वारा सुनी गई उनके द्वारा वाद–पत्र में अकिंत तथ्यों का दुहराव करते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण विवादित अराजी ख0सं0 पर बिना किसी अधिकार के काबिज है इसलिए उसे बेदखल किया जावे। सहखातेदारी भूमि के सबंध में कोई भी सहखातेदार बेदखली का वाद ला सकता है इस सबंध में न्यायिक दृष्टांत RLW2004RJ Page 289 BOR सोनिया बनाम किशोरमल प्रस्तुत किया।

पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन करने पर पाया कि ग्राम माखीदा स्थित भूमि खसरा संख्या 300 रकबा 2.15 हैक्ट0 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वंत 2072–75 अनुसार नाथू पुत्र माधो जाति मीना हिस्सा 1/3, प्रेमबाई पुत्री चतरा जाति मीना हिस्सा 1/3,, महावीर पुत्र मथरा जाति मीना हिस्सा 1/3 की सहखातेदारी भूमि है उक्त वादग्रस्त विवादित अराजी के सबंध में प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही होने की पुष्टि राजस्व रिकार्ड अनुसार व वाद–पत्र में अकिंत कथन जिसका खण्डन नही किया गया है

ग्राम माखीदा को जमाबंदी सवंत 2072–2075 के खाता संख्या 112 में दर्ज सहखातेदारी भूमि कुल भूमि कुल किता 7 रकबा 5.86 हैक्ट0 में वादी का हिस्सा 1/3 है।जिसके अनुसार उसके हिस्से में लगभग 1.94 हैक्ट0 भूमि आती है परन्तु वादी वाद–पत्र अनुसार खसरा संख्या 300 रकबा 2.15 हैक्ट0 सम्पूर्ण का कब्जा प्राप्त करने का अनुतोष चाह रहे है जो कि नियमतः उचित नही है।अतः वादी का वाद आशिंक स्वीकार कर इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि ग्राम माखीदा स्थित खसरा संख्या 300 रकबा 2.15 हैक्ट0 का सीमांकन करते हुए।प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को मौके से बेदखल किया जाकर मौका कब्जा समस्त सह खातेदारान नाथू पुत्र माधो, प्रेमबाई पुत्री चतरा व महावीर पुत्र मथुरा को सामूहिक रूप से संभलवाया जावे।निर्णय सरे इजलास सुनाया।

पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां(बून्दी)

Scanned with CamScanner

डिकी ब मुकदमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1. अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.................................. मुकाम.........................लाखेरी.............................व इजलास.........श्री युगांतर शर्मा (आर. ए. एस.)..

1. महावीर आत्मज मथुरालाल जाति मीणा............. **बनाम......** 1. मुकेश आ.गोबरीलाल जा.मीणा नि0 माखीदा तह. इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2.महावीर आ.गोबरीलाल जा.मीणा नि0 माखीदा तह. इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3. सुरेश आ.गोबरीलाल जा.मीणा नि0 माखीदा तह. इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

दावा बाबत..,183,188 आर0 टी0 एक्ट...

मुकदमा नम्बर..................................42/दावा/2019................................सन..यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू...हमरे...
......व हाजिरी

1. श्री सुरेश वर्मा एडवोकेट ....। मिनजानिब मुद्दई रूबरू..
....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि वादी का वाद आशिंक स्वीकार किया जाता है प्राथमिक डिक्री किया जाता है ग्राम माखीदा ख0सं0 300 रकबा 2.15 हैक्ट0 का सीमांकन करते हुए प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को मौके से बेदखल किया जाकर मौका कब्जा समस्त सह खातेदारान नाथू पुत्र माधों, प्रेमबाई पुत्री चतरा व महावीर पुत्र मथुरा को सामूहिक रूप से संभलवाया जावे।

....निज....................................मुबलिग..बाबत...............
..................................खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....12.....माह.. ..05........ सन...2022...... ....को जारी की गई

दस्तखत

मुहर **ओहदा**

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॅान		
5.खर्चा गवाहॅान			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बावत इजराय हुक्मनामा		
7.बावत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मैजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner